प्रेस नोट संख्या- 31
दिनांक 23.12.2025
सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस
थाना जगदीशपुर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल (हथौड़ी) बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 14.12.2025 को थाना जगदीशपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम हारीमऊ में सड़क के किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। थाना जगदीशपुर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लिया गया एवं फॉरेन्सिक टीम व थाना जगदीशपुर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई। मृतक की पहचान मनोज उर्फ मुक्खन पुत्र पृथ्वी पाल सिंह निवासी गूंगेमऊ थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 40 वर्ष के रूप में हुई। मृतक के भाई श्री अजीत सिंह पुत्र पृथ्वीपाल सिंह निवासी गूंगेमऊ थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी की लिखित तहरीर पर मु0अ0सं0 347/25 धारा 103(1), 238 बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात दिनांक 14.12.2025 को पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक द्वारा उक्त घटना के शीघ्र अनावरण हेतु संबंधित को आवश्यक आदेश/निर्देश दिये गये थे।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना श्री अतुल कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 22.12.2025 को थाना जगदीशपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त दिलीप कुमार पुत्र शिवलाल निवासी जगधरपुर थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी उम्र 26 वर्ष को थानाक्षेत्र सेवालिया जनपद खेड़ा गुजरात राज्य से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त (आलाकत्ल) हथौड़ी को बरामद किया गया। **उक्त मुकदमें से संबंधित 02 अभियुक्तों शिवलाल व धर्मराज उर्फ डट्टू को दिनांक 15.12.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था जो वर्तमान में जिलाकारागार सुलतानपुर में निरुद्ध हैं।**

पूछताछ में अभियुक्त दिलीप कुमार ने बताया कि दिनांक 13/14.12.2025 की शाम समय करीब 08 बजे वह अपने पिता शिवलाल व गांव के ही धर्मराज उर्फ डट्टू के साथ निर्माणाधीन अन्त्येष्टि स्थल पर आग जलाकर ताप रहा था, वहीं मनोज उर्फ मुक्खन भी मौजूद थे। मुक्खन ने उसे गाली दे दिया और एक डण्डा मार दिया था जिससे उसने पास में पड़ी हथौड़ी से मुक्खन के चेहरे व सिर पर दो-तीन वार कर दिया था। धर्मराज उर्फ डट्टू ने भी पास में पड़ी ईंट से व शिव लाल ने लकड़ी की फंटी से मुक्खन को मारा था। जब वह शांत हो गया तो उक्त घटना को एक्सीडेंट दिखाने के लिये साइकिल से ले जाकर कुछ दूरी पर लिटा कर ऊपर से साइकिल गिरा दिया था और जहां पर मारा था वहां वापस जाकर जो खून पड़ा था उस पर मिट्टी डाल दिया था उसके बाद भागते समय हथौड़ी को छिपा दिया था और गुजरात भाग गया था।

गिरफ्तारी के संबंध में थाना जगदीशपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. दिलीप कुमार पुत्र शिवलाल निवासी जगधरपुर थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी उम्र 26 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 347/25 धारा 103(1), 238 बी0एन0एस0 थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. निरीक्षक राघवेन्द्र प्रताप यादव थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 संजीव कुमार सिंह थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।
3. का0 अवनीश कुमार थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।